शासकीय महाविद्यालय, बेलौदी

जिला-बालोद (छ.ग.)

॥ विवरणिका ॥

सत्र : 20 - 20

शासकीय महाविद्यालय, बेलौदी (छ.ग.)

- विवरणिका -

प्रथम-खण्ड

महाविद्यालय की स्थापना जुलाई 2013 में हुई। महाविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन तात्कालीन क्षेत्रीय सांसद माननीय श्री सोहन पोटाई एवं क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री विरेन्द्र साहू ने किया। महाविद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य विषय की कक्षाएँ संचालित करने की अनुमति शासन से प्राप्त हुआ जिसके अन्तर्गत प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र राजनीतिक शास्त्र तथा वाणिज्य विषय की अध्यापन व्यवस्था की गई। वर्तमान में यह महाविद्यालय शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बेलौदी के एक प्रखण्ड में संचालित है। छत्तीसगढ़ शासन उच्चशिक्षा विभाग द्वारा संचालित यह महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संबंद्ध है। विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 12248/अका./संबद्धता/2013 रायपुर दिनांक 07.10.2013 द्वारा विभिन्न कक्षाओं के संचालन हेतु संबद्धता प्रदान की गई है। संस्था में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होता है तथा विश्वविद्यालय के नियमों व शर्तों के अधीन परीक्षा संचालित होती है।

उच्च शिक्षा को शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करने की वर्तमान सरकार की सोच तथा गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व माननीय विधायक श्री विरेन्द्र साहू एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सतत् मांग को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने बेलौदी उच्चशिक्षा की पूर्ति हेतु महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। इस महाविद्यालय की स्थापना से निश्चय ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक ग्रामीण अंचल छात्र-छात्राऐं लाभान्वित होगें।

1. संकाय एवं विषय :-

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में शिक्षण सुविधा है।

अध्यापन हेतु उपलब्ध विषय -

1.1 कला संकाय :-

बी. ए. भाग-एक - अनिवार्य विषय-आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन/ अनिवार्य विषय के साथ निम्नलिखित विषयों का अध्यापन होता है :-

1. समाज शास्त्र 2. राजनीतिक शास्त्र 3. इतिहास

1.2 विज्ञान संकाय :-

बी. एस. सी. भाग-एक - अनिवार्य विषय-आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के साथ निम्नलिखित विषयों का अध्यापन होता है।

1. रसायन शास्त्र 2. वनस्पति शास्त्र 3. प्राणी शास्त्र

नोटः बी. ए. द्वितीय एवं बी. ए. तृतीय तथा बी. एस. सी. द्वितीय तथा बी. एस. सी. तृतीय की कक्षाओं में वही

विषय मान्य होगे जो प्रथम वर्ष की कक्षा में लिये गये है। विषय परिवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नही होगें।

1.3 वाणिज्य संकाय :-

बी. कॉम. भाग-एक - अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा एवं पर्यावरण अध्ययन/ अनिवार्य विषय के साथ निम्नलिखित विषयों का अध्यापन होता है।

1. वित्तीय लेखांकन 2. व्यवसायिक प्रबंध 3. व्यावहारिक अर्थशास्त्र

विभिन्न कक्षाओं में उपलब्ध स्थान -

बी.ए. भाग -1	-	80	बी.ए. भाग -2	-	60
बी. कॉम -1	-	60	बी. कॉम -2	-	60
बी. एस. सी. -1	-	60	बी. एस. सी. -2	-	60

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ -

1. पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 4083 पुस्तके है । अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा बी. पी. एल. के विद्यार्थियों को बुक बैंक योजना के अंतर्गत अध्ययनार्थ पाठ्य पुस्तके दी जाती है। पुस्तक लेते समय परिचय-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

2. सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्रायें के उचित मार्गदर्शन करने के लिए तथा रोजगार संबंधी सूचना देने के लिए सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। जहाँ विद्यार्थी रोजगार संबंधी सूचनाएँ प्राप्त कर सकते है।

3. स्वास्थ्य परीक्षण :-

महाविद्यालय के नियमित छात्र-छात्राओं की समय-समय पर स्वास्थ्य की जांच की जाती है। तथा रक्त समूह ज्ञात करने हेतु रक्त परीक्षण करवाया जाता है।

4. खेलकूद सुविधाएँ :-

महाविद्यालय में खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक सुविधाएँ दी जाती है जिसके अंतर्गत इंडोर गेम में कैरम, बैडमिंटन, शतरज तथा आउटडोर गेम मे बॉली-बाली, कबड्डी, खो-खो तथा एथलेटिक्स की खेल सामग्री प्रदान की जाती है।

5. छात्रसंघ :-

शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशन एवं नियमानुसार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और क्षमता के विकास के लिए छात्रसंघ का गठन किया जाता है जो पूरे सत्र भर प्राचार्य एवं छात्रसंघ प्रभारी के निर्देश में कार्य करता है।

6. परिचय पत्र :-

महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थियों के परिचय पत्र दिया जाता है जिसका उपयोग पुस्तकालय की वर्ष

सुविधा पाने तथा विशिष्ट कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये किया जा सकता है।

7. **छात्रवृत्तियाँ :-**

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निम्न छात्रवृत्तियों प्राप्त होती है।

अ. अनुसूचित जाति ब. अनुसूचित जन जाति स. पिछड़ा वर्ग द. अल्पसंख्यक

8. **राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ :-**

अ. बी. पी. एल. छात्रवृत्ति ब. मेधावी छात्रवृत्ति

अन्य:- महाविद्यालय अपने स्तर पर संकलित निर्धन छात्र सहायता निधि से भी गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता करता है।

द्वितीय-खण्ड

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु मार्ग दर्शक सिद्धांत -

1. ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ में सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06 एवं 07 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होगें तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

2. साथ ही पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर द्वारा प्रवेश संबंधी जारी किए गए नियम मार्गदर्शी सिद्धांतो के रुप में लागू होगे।

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्र - महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निधारित आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण-पत्रों सहित निधारित दिनांक तक जमा करना अनिवार्य है।

1. पिछली संस्था छोड़ने का मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।
2. पिछली कक्षा की अंकसूची की छायाप्रति।
3. हाईस्कूल उत्तीर्ण की अंकसूची।
4. पिछली संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
5. अध्ययन की निरन्तरता में यदि व्यवधान आ रहा हो तो ऐसे अन्तराल के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. सेवा, नौकरी करने वाले विद्यार्थियों को संस्था या कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अनु. जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्थायी जाति-प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्र मूल रुप में प्रस्तुत करना होगा।

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि :-

1. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति

वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि. वि. बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी।

2. विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी।

3. महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण। उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या/सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

प्रवेश सूची :-

1. प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंकसहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

2. निर्धारित शुल्क जमा कराने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप निरस्त कर दिया जावे।

3. घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणो में 30 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

4. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

प्रवेश पात्रता :-

1. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनो के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ मे है उनके पुत्र-पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितों को शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और

कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा।

3. पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का स्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

4. विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों मे स्वाध्यायी आवेदको को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रो को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

प्रवेश की अर्हताएँ :-

1. किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा मे फेल होने वाले छात्र-छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नही लिया हो तो वो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नही माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसमें प्रवेश नही लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

2. जिनके विरुद्ध न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया गया हो और / या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हो या परीक्षा में या पूर्व सत्र मे छात्रो/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो। चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नही हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओ को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

3. महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

4. स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर में प्रथम वर्ष 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदको को प्रदेश की पात्रता नही होगी आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओ को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

5. अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/महिला आवेदको के लिये आयु सीमा मे तीन वर्ष की छूट रहेगी।

6. स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित वर्गो के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

7. प्रथम वर्ष स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित विद्यार्थी तत्पश्चात स्थान रिक्त होने पर स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

8. स्नातक अगली कक्षा में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण एवं नियमित एवं भूतपूर्व नियमित विद्यार्थी के बाद एक विषय

में पूरक प्राप्त सत्र के नियमित छात्रों के प्रवेश में प्राथमिकता दी जाये, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

आरक्षण - छ. ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा।

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के आवेदक के लिए क्रमशः 12 तथा 32 प्रतिशत होगे इन दोनो वर्गो के स्थान आपस मे परिवर्तनीय होंगे।

2. पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) आवेदको के लिए 14% स्थान आरक्षित होगे।

3. स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानियो के पुत्र-पुत्रियो तथा विकलांग श्रेणी के आवेदको के लिए संयुक्त रुप से 3% स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदको को प्राप्तांको का 10% अंको का अधिभार देकर दोनो वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।

4. प्रवेश की अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राऐं उपलब्ध न हो तो आरक्षित स्थान सामान्य श्रेणी के आवेदको के लिए उपलब्ध रहेगे।

5. आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा 1/2 प्रतिशत एवं प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या 01 होगी।

6. समय-समय पर शासन काल जारी आरक्षण नियमो का पालन किया जाएगा।

अधिभार :-

1. अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा पात्रता प्राप्ति हेतु उसका उपयोग नही किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये। जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रो पर अधिभार हेतु विचार नही किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/वर्ष में अर्हकारी परीक्षण में संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी, जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

विशेष :-

1. जाली प्रमाणपत्रों, गलत जानकारी, जान बूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन त्रुटि, असावधानीवश किसी आवेदक करे प्रवेश मिल गया हो तो ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।

2. प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

3. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने पर अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने पर अथवा निष्काषित किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा।

प्रवेश के समय भुगतान किये जाने वाले शुल्क :-

(क)	**शासकीय शुल्क**	
1.	पूरे सत्र शिक्षण शुल्क (केवल छात्रों हेतु)	115/-
2.	स्टेशनरी शुल्क	2/-
3.	प्रयोग शाला शुल्क	20/-
4.	प्रवेश शुल्क	3/-
(ख)	**अशासकीय शुल्क**	
1.	सम्मिलित निधि शुल्क	32/-
2.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	5/-
3.	परिचय पत्र शुल्क	3/-
4.	सायकल स्टैण्ड शुल्क (अन्य)	6/-
5.	महाविद्यालय विकास शुल्क	25/-
6.	छात्र समिति शुल्क	2/-
7.	चिकित्सा शुल्क	3/-
8.	निर्धन छात्र सहायता निधि शुल्क	5/-
9.	रीडिंग रुम	20/-
(ग)	**महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क (स्थानीय परीक्षा)**	**50/-**
(घ)	**विश्वविद्यालय शुल्क**	
1.	महाविद्यालय शारीरिक कल्याण शुल्क	150/-

2. जनभागीदारी शुल्क 500 /-

(ड) सुरक्षा निधि

1. स्नातक स्तर (तीन वर्षो के लिए) 60 /-

टिप्पणी :-

1. सभी प्रकार के शुल्क में शासन द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

2. प्रवेश मिल जाने के बाद प्रत्येक छात्र-छात्रा को संपूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य रुप से शैक्षणिक शुल्क देना होगा। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इनका कोई संबंध नहीं है।

3. किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करते समय प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

रैगिंग एवं दण्ड :-

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ना को स्थायी रुप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग का प्रतिषेध) अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को सज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

(क) रैगिंग से अभिप्रेत है कि किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिये उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभित्रास, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी कार्य से प्रविरत करता हो। रैगिंग का अपराध सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र/छात्राओं को पाँच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है तथा उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा। ऐसे छात्र/छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

रैगिंग के अंतर्गत :-

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1883 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995) अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :-

"किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना

जो मानव-मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाय या डरा-धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।''

रैगिंग का स्वरुप :-

रैगिंग निम्नांकित रुपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है :-

स्पष्ट आदेश	रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दण्ड
सीनियर छात्रों को ''सर'' कहने के लिए	1. प्रवेश निरस्त किया जाना
सामूहिक कवायद करने के लिए	2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना
सीनियरों को क्लास-नोट्स उतारने के लिए	3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना
अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए	4. परीक्षाओं से वंचित करना
सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए	5. परीक्षा परिणाम रोकना
अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए	6. राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध
नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए	7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना
शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना	8. आर्थिक दण्ड रु. 25000.00 तक

कामुक संकेतार्थ वाले कार्य-समलैगिंक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना

ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।

नंगा करना, चुंबन लेना, आदि।

अन्य अश्लीलताएँ करना।

उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रुपों से युक्त है।

नोट : उपसचिव उच्चशिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के विज्ञापन क्रमांक 15/2009/38-1, रायपुर दिनांक 03.08.2009 के निर्देशानुसार महाविद्यालय में एंटी रैगिंग स्क्वाड का गठन किया गया।

महाविद्यालयीन अकादमिक कैलेण्डर (सत्र 2015-16)

1.	प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)	-	16.06.2016 से 31.07.2015
2.	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	-	14.06.2016
3.	तीनों संकायों के प्रथम वर्ष की कक्षाएँ प्रारंभ	-	01.07.2016
4.	तीनों संकायों के द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाएँ	-	16.06.2016

महाविद्यालयीन आंतरिक परीक्षाएँ

1.	पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षाएँ	-	प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को
	शेष आंतरिक परीक्षाओं के कार्यक्रम विश्वविद्यालय कैलेण्डर के अनुसार आयोजित होंगे।		
2.	सामान्य ज्ञान प्रति व खेलकूद से संबंधित गतिविधियों/कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का आयोजन	-	प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को
3.	रोजगारोन्मुखी जानकारियाँ/सूचनाएँ व व्यावसायिक/ रोजगार परामर्श	-	प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को
4.	छात्रों की विभिन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य, साफ-सफाई शिक्षा, जागरुकता आदि पर चर्चा/सलाह/समाधान	-	प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को
5.	प्रत्येक चार माह पर समीक्षा बैठक		

छात्रसंघ/खेलकूद/एन. सी. सी./एन. एस. एस. एवं समस्त गतिविधियाँ विश्वविद्यालय अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार संचालित होगी।

1.
2.
3.
4.
5.
(अ)
(ब)
6.
7.
8.
9.
10.
11.

शासकीय महाविद्यालय, बेलौदी

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

1. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिये : ....
2. जो विषय लेना चाहता है 1 : ....
   2 : ....
   3 : ....
   अनिवार्य विषय-आधार पाठ्यक्रम : (1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा
   (3) पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष हेतु)
3. आवेदक का पूरा नाम : ....
4. जन्म तिथि (अंको में) : ....
   (शब्दो में)
5. रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) : .... अनिवार्य रुप से भरें

(अ) पिता का नाम : ....

(ब) माता का नाम : ....

व्यवसाय .... जाति : ....

6. आवेदक का स्थायी पता : ....
   आवेदक का स्थानीय पता : ....
7. जन्म स्थान पोस्ट : ....
   जिला .... राज्य : .... फोन/मो. नं. ....
8. संरक्षक का नाम (यदि पिता जीवित नहीं) : ....
   आवेदक से संबंध : ....
   संरक्षक का पूरा पता : ....
9. पिता/संरक्षक का व्यवसाय : ....
10. पिता/संरक्षक के छत्तीसगढ़ में रहने की अवधि : ....
11. आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग : ....
    विमुक्ति जाति/ छ. ग. पिछड़े वर्ग की सूची किस जाति का है : ....
    शासन की तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी की संतान हो : ....

तो उसका पूर्ण विवरण तथा प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें : ....

12. पिछली संस्था का नाम जिसमें : ....

छात्र/छात्रा ने अध्ययन किया है : ....

अध्ययन वर्ष : ....

आवेदक का शैक्षणिक प्रगति का विवरण :-

कक्षा का नाम	रोल नं.	नामांकन	परीक्षाफल	प्राप्तांक	बोर्ड/वि. वि. का नाम	लियें गये विषय
हायर सेकेण्डरी						
बी.ए./बी.एस.सी. बी.कॉम. भाग-1						
बी.ए./बी.एस.सी. बी.कॉम. भाग-2						
बी.ए./बी.एस.सी. बी.कॉम. भाग-3						

13. पिछली परीक्षा का माध्यम : ....

14. क्या गत चार वर्षो में आवेदक का अध्ययन कम जारी रहा : ....

15. खेलकूद/एन.सी.सी./ए.सी.सी./एन.एस.एस./समाज : ....

सेवा अन्य में भाग लिये हो तो उल्लेख करें : ....

16. क्या आवेदक सेवारत है? : ....

(अनुमति संलग्न करें)

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1. स्थानांतरण प्रमाण की पत्र मूल प्रति।

2. अंकसूची 3. निवासी प्रमाण पत्र।

4. चरित्र प्रमाण पत्र 5. प्रवजन प्रमाण पत्र।

टिप्पणी :- प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी।

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्त्तव्यों, महाविद्यालय के नियमों का पालन करुंगा/करुंगी एवं परीक्षा में किसी अव्यवस्था, अनुशासनहीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही मं प्रत्यक्ष या परोक्ष में कोई भाग नहीं लूंगा/लूंगी। प्रत्येक मामले में प्राचार्य महाविद्यालय के निर्णयों का पालन करुंगा/करुंगी। किसी पदाधिकारी के रुप में प्राचार्य महोदय अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं करुंगा/करुंगी। मेरी ओर से महाविद्यालय का कोई भी शुल्क या अन्य किसी संबंध में कोई राशि देय नहीं है, तथा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध गत वर्षो में अनुशासन भंग, दुराचरण परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या दुर्व्यहार अथवा किसी कारण से महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने समस्त जानकारी ऊपर दे दी है तथा उसमें जब कोई परिवर्तन होगा, उसकी सूचना तुरंत दूंगा/दूंगी। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है और न ही असत्य जानकारी दी है। उपर्युक्त प्रतिज्ञा के उलंघन करने की स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और अन्य अनुशासकनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

मैने महाविद्यालय के विवरण प्रत्रिका में दिये छात्रों के आचरण नियमों Ref. Govt. of M.P. Edu. Dept. Memo No. 3573/20-50 70 Bhopal Dated 6th July 1970 तथा 27.12.2008 20 ब. सि. स. तथा 46 2002 दिनांक 3 जून 1976 को पढ़ लिया है और प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं उनका पूर्ण रुप से पालन करुंगा/करुंगी।

टिप्पणी - यदि कभी कोई कार्यवाही की गई तो उनका विवरण अवश्य दें।

दिनांक ....   आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पिता या अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र/पाल्य द्वारा इस आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय विवरणिका के नियमों का अध्ययन मैंने कर लिया है मैं इनके अध्ययन काल में उसके आचरण कार्य उपस्थिति, दैनिक प्रगति एवं व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूरा सहयोग देता रहूँगा। मेरे पुत्र/पाल्य के लिए प्राईवेट ट्यूशन प्राचार्य की सहमति से ही होगी।

स्थान --------------

दिनांक ....   पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर

संलग्न - 1

छात्र / छात्रा का शपथ पत्र

मैं कु.-----------------------------------का प्रवेश कक्षा ------------ संस्था का नाम ------------------- में हो गया है। मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।

मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूं जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हू/देती हूं अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग करता/करती हूं या षडयंत्र करता/करती हूं तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूं कि -

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करुगा/करुगी जोकि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका-3 रैगिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।

मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूं कि यदि रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूं तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

मैं घोषणा करता/करती हूं कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षडयंत्र में अपराधी पाया गया/गई हू। मैं अच्छी तरह जानता/जानती हूं कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा दिनांक .... माह ------------------ वर्ष .... ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -------------------------------------

संलग्न - 2

माता-पिता / अभिभावक का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु.-- (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम) - --- (छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/नामांकन संख्या सहित) ------------------------------ (संस्था का नाम) -- में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूं कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।
3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रुप से अवगत हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूं कि -
   (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका-3 के अंतर्गत आता है।
   (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा जो कंडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराघ की श्रेणी में आता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।
6. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा दिनांक .... माह ------------------ वर्ष .... ।

अभिभावक के हस्ताक्षर

नाम -------------------------------------

पता -------------------------------------

मोबाईल नं. ....

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम -

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा।

1. प्रत्येक विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौज मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
5. महाविद्यालय एवं छात्रावास सीमा में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित करेगा।
6. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना दीवारों को गंदा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक या गन्दी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक या अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
7. वह अपनी मांगे प्रदर्शन आंदोलन तथा आतंक फैलाकर नहीं करेंगे, विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगे मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
8. **महाविद्यालय परिसर में मोबाईल एवं पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।**

अध्ययन संबंध नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी, एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा, उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संस्था में ही पुस्तक प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।
4. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे लाईट, फर्निचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम -

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी ईकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अव्यवस्थावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वच्छ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर कारावास की सजा या 5000 रु. जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र में उसका पालक/अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति में सम्मुख करेंगे।

छात्रा के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

संहिता
करना होगा।
ीं होना चाहिए।
विधियों को भी पूर्ण
न मारपीट या आग्नेय
व्ययी जीवन निर्वाह
सामाजिक या गन्दी
र्यवाही की जावेगी।
र रखेगा तथा अपनी
होगी। अन्यथा उसे
साफ सुथरा रखेगा।
य से न लौटाने पर
ा दण्डात्मक माना
होना अनिवार्य है।
सर्टीफिकेट प्रस्तुत
ीर दुराचरण माना
देया जायेगा।
ने पर कारावास की
श निरस्त कर उसे
ा घोषणा पत्र पर
हस्ताक्षर

Govt. College, Beloudi (C.G.)

[AFFILIATED TO : PT. RAVI SHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)]

COMPUTER DATA SHEET

(All entries should be filled by the candidate, entries should be in capital letters)

For Office Use Only

Admission No. : .... Session : ....

Univ. Enrollment No. .... Status : Regular/Ex/Supplementry

Receipt No. & Date .... Rs. ....

assport size photo

Class :

Name of Student :

Father's Name :

Mother's Name :

Date of Birth :

Address :

Phone/Mobile No. :

Medium : Hindi ☐ English ☐

Religion : Hindu ☐ Muslim ☐ Sikh ☐ Christian ☐ Jain ☐ Boddh ☐

Category : Gen ☐ O.B.C. ☐ S.C. ☐ S.T. ☐

Subject Offered :

Additional Subject :

Signature
Prof. Incharge Admission

Signature of the Student

Date :

press, durg 9827183884